भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2547

दिनांक 11.08.2025 को उत्तर देने के लिए

आय और आर्थिक असमानता में वृद्धि

2547. **श्री रविचंद्र वद्दीराजू:**

क्या ***योजना*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक और डब्ल्यूआईडी रिपोर्टों सहित हाल के अध्ययनों पर गौर किया है, जो देश में आर्थिक असमानता में वृद्धि का संकेत देते हैं;

(ख) यदि हां, तो असमानता सम्बन्धी आंकड़ों की सटीकता में सुधार, विशेष रूप से उच्च-आय वर्ग के लिए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार कर और पुनर्वितरण नीतियों को तैयार करते समय आय या आर्थिक असमानता पर विचार करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में आय का हिस्सा इस प्रकार है:

	आय
	कुल का हिस्सा (%)
कुल जनसंख्या	**100%**
निम्नतम 50%	**5.9%**
मध्यम 40%	**29.5%**
शीर्ष 10%	**64.6%**
शीर्ष 1%	**33%**

(ख) आय और आर्थिक असमानता से संबंधित आँकड़े केंद्रीय रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा एकत्रित घरेलू उपभोक्ता व्यय आँकड़ों का उपयोग उपभोग व्यय के संदर्भ में आय असमानता को दर्शाने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, एमओएसपीआई प्रतिवर्ष "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" प्रकाशित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), राष्ट्रीय आय आदि के अनुमान शामिल होते हैं।

(ग) सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों का विकास है। समावेशी विकास पर सरकार का ध्यान गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करने और देश में आबादी के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए "सबका साथ, सबका विकास" के प्रति प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है।

इन उद्देश्यों के साथ, सरकार कई लक्षित कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; पीएम-किसान के तहत धन हस्तांतरण, पीएम फसल बीमा योजना दावा भुगतान; उर्वरक सब्सिडी; डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज अनुदान; फार्म गेट अवसंरचना के लिए कृषि-अवसंरचना निधि आदि। इसके अलावा, सरकार ने बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना आदि सहित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है।

सरकार का एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो आर्थिक असमानता को दूर करता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रहा है और रोजगार क्षमता में सुधार कर रहा है। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट से पता चलता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तर से आगे बढ़ गए हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2018-19 के 5.8% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।

रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा सुदृढ पूंजी व्यय, लॉजिस्टिक सुविधाओं में सुधार को जारी रखना, शहरी विकास, एमएसएमई को बढ़ावा देना, कृषि और विनिर्माण जैसे विकास को आगे बढ़ाने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से समग्र रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे रोजगार सृजन और नागरिकों की क्रय-शक्ति में सुधार हो रहा है।

सरकार कौशल विकास केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों, और संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल भारत मिशन (सिम) को भी कार्यान्वित कर रही है। सिम का लक्ष्य उद्योग के लिए उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण से भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है। इसके अलावा, अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए सितम्बर, 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम शुरू की गई थी। भारत में एक प्रगतिशील प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था है, जिसमें उच्च आय वर्ग का व्यक्ति निम्न आय वर्ग के व्यक्ति की तुलना में अधिक दरों पर कर का भुगतान करता है। इसके अतिरिक्त, एक निश्चित स्तर से अधिक आय वाले व्यक्तियों के आयकर पर अधिभार लागू होता है। अतः उच्च आय वर्ग के आय-अर्जकों के कराधान के मामले में एक सुदृढ़ कराधान प्रणाली पहले से ही मौजूद है।

सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपायों का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रति वर्ष 12 लाख रुपए की आय तक कोई आयकर नहीं लगेगा। बजट में करदाताओं को लाभ देने के लिए व्यक्तिगत आय के स्तर और दर में भी बदलाव लाने का प्रस्ताव किया गया है। नए ढांचे से मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम करने और उनके हाथों में अधिक पैसे बचने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने की सरकार के अन्य उपायों में वर्धित पेंशन स्कीम, किफायती दर पर मकान देने के लिए सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कीमें और उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता शामिल हैं।
